

308/एआ0/18  
29/11/18



फार्म

\* प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो प्रमोद कुमार पाण्डेय 2. वर्तमान धारित पद सुरक्षा गार्ड  
3. वर्तमान वेतन रुपये 34100 = अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2018

जिस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		** वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया *** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① वाईन०-०९ बोदावाग, तह०- हुप्पूर जिला- सीवा (म०प्र०)	भवन	—	20 लाख लगभग	स्वयं	विरासत में	परिवार निवासरत	—
② बोदावाग, तह०- हुप्पूर जिला- सीवा (म०प्र०)	—	दो एकड़ कृषि योग्य	10 लाख लगभग	स्वयं	विरासत में	बीस हजार रुपये	—
③ मोहरवा, तहसील- सेमरिया, जिला- सीवा (म०प्र०)	—	5.40 एकड़ भूमि कृषि योग्य	20 लाख लगभग	स्वयं	विरासत में	एक लाख रुपये	—

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल संपत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर P.K. Pandey  
नाम प्रमोद कुमार पाण्डेय  
पद सुरक्षा गार्ड